web: www.nyaysakshi.com | पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल | पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक

Govt. Registered Social Justice Union

दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, बुधवार, 06 अप्रैल 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-04, अंक- 187

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 22 यू-ट्यूब चैनलों को किया ब्लॉक

नईदिल्ली (आरएनएस)। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आईटी नियमावली, 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सोमवार को बाईस (22) यूट्यूब आधारित समाचार चैनलों, तीन (3) ट्विटर अकाउंट, एक (1) फेसबुक अकाउंट और एक (1) न्यूज वेबसाइट को ब्लॉक करने के आदेश जारी किए हैं। ब्लॉक किए गए यूट्यूब चैनलों के दर्शकों की कुल संख्या 260 करोड़ से अधिक थी, और राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत के विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से संवेदनशील विषयों पर फर्जी समाचार, और सोशल मीडिया पर सुनियोजित दुष्प्रचार फैलाने के लिए उनका दुरुपयोग किया जा रहा था।

भारतीय यूट्यूब आधारित समाचार चैनलों पर कार्रवाई- पिछले साल फरवरी में आईटी नियम, 2021 की अधिसूचना के बाद से भारतीय यूट्यूब आधारित समाचार प्रकाशकों पर यह पहली बार कार्रवाई की गई है। ब्लॉक किए जाने के आदेश के अनुसरण में, अठारह (18) भारतीय और चार (4) पाकिस्तान स्थित यूट्यूब समाचार चैनलों को ब्लॉक कर दिया गया है।

सामग्री का विश्लेषण- भारतीय सशस्त्र बलों, जम्मू-कश्मीर, आदि जैसे विभिन्न विषयों पर फर्जी समाचार पोस्ट करने के लिए कई यूट्यूब चैनलों का उपयोग किया जा रहा था। जिन विषय-सामग्री को ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है उनमें कुछ भारत विरोधी विषय-सामग्री भी शामिल थी, जो एक सुनियोजित तरीके से पाकिस्तान से संचालित कई सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट की गई थी।

यह देखा गया कि इन भारतीय यूट्यूब आधारित चैनलों द्वारा यूक्रेन की मौजूदा स्थिति से संबंधित और अन्य देशों के साथ भारत के विदेशी संबंधों को खराब करने के इरादे से अत्यधिक मात्रा में फर्जी विषय-सामग्री प्रकाशित की जा रही थी।

काम करने का ढंग- ब्लॉक किए गए भारतीय यूट्यूब चैनल कुछ टीवी समाचार चैनलों के टेम्प्लेट और लोगो का उपयोग कर रहे थे, जिसमें उनके समाचार एंकरों की तस्वीरें भी शामिल थीं, ताकि दर्शकों को यह विश्वास दिलाया जा सके कि समाचार प्रामाणिक था। सोशल मीडिया पर सामग्री को वायरल करने के लिए झूठे थंबनेल का इस्तेमाल किया गया और वीडियो के शीर्षक एवं थंबनेल को अक्सर बदल दिया जाता था। कुछ मामलों में, यह भी पाया गया कि सुनियोजित तरीके से भारत विरोधी फर्जी खबरें पाकिस्तान से आ रही थीं।

इस कार्रवाई के साथ दिसंबर 2021 से, मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की संप्रभुता और अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था आदि से संबंधित आधार पर 78 यूट्यूब आधारित समाचार चैनलों और कई अन्य सोशल मीडिया अकाउंट को अवरुद्ध करने के निर्देश जारी किए हैं।

भारत सरकार एक प्रामाणिक, भरोसेमंद और सुरक्षित ऑनलाइन समाचार मीडिया का वातावरण सुनिश्चित करने के साथ-साथ भारत की संप्रभुता और अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था को कमजोर करने के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सीसीआई ने भारतीय रेलवे की संविदाओं में हेरा-फेरी करने फर्मों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाई की

नईदिल्ली (आरएनएस)। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने ग्यारह (11) कंपनियों/फर्मों के खिलाफ अंतिम आदेश जारी कर दिया है, जिन्हें प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 3(1) के साथ लागू होने योग्य धारायें 3(3)(ए), 3(3)(बी), 3(3)(सी), और 3(3)(डी) के प्रावधानों का उल्लंघन करने का दोषी पाया है। उल्लेखनीय है कि अधिनियम प्रतिस्पर्धा-निरोधी समझौतों पर प्रतिबंध लगाता है। उत्तर-पश्चिम रेलवे की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था।

सीसीआई ने पाया कि इन कंपनियों/फर्मों ने भारतीय रेल को हाई पर्फारमेंस पॉलीमाइड बुशेज़ (एचपीपीए) और सेल्फ लुब्रिकेटिंग पॉलियस्टर रेजिऩ बुशेज़ (एसएलपीआर) की आपूर्ति करने के लिये गिरोहबंदी की। इन कंपनियों ने सीधे या परोक्ष रूप से कीमतों को प्रभावित किया, संविदायें प्राप्त कीं, आपूर्ति और बाजार पर नियंत्रण किया, बोली में कीमतें मिलकर लगाईं और पूरी बोली प्रक्रिया को तोड़ा-मरोड़ा।

इस मामले में जो सबूत मिले हैं, उनमें पक्षों के बीच ई-मेल और व्हॉट्स-ऐप के जरिये बातचीत, कुछ पक्षकारों द्वारा समान/एक सी कीमतें लगाना, कुछ पक्षकारों द्वारा एक ही आईपी एड्रेस से बोली लगाना आदि शामिल है। सीसीआई के समक्ष इन 11 कंपनियों में से कम जुर्माने वाली चार कंपनियां थीं। अधिनियम की धारा 46 के तहत गिरोहबंदी का कोई सदस्य आयोग के पास जाकर कम जुर्माना लगाने का प्रार्थना-पत्र दे सकता है। इसके एवज में उसे आयोग के समक्ष कथित गिरोहबंदी के बारे में पूरी, सच्ची और महत्त्वपूर्ण जानकारी देनी होती है।

महत्वपूर्ण एवं खास

पूर्णागिरि धाम दर्शन को आए यूपी के दो श्रद्धालुओं की मौत

टनकपुर (आरएनएस)। पूर्णागिरि धाम के दर्शन के लिए आये दो श्रद्धालुओं की अलग-अलग घटनाओं में बनबसा और टनकपुर में मौत हो गई। फर्रुखाबाद जिले से आये एक किशोर श्रद्धालु की बनबसा में शारदा नदी में डूबने से मौत हो गई। एक अन्य घटना में टनकपुर से पूर्णागिरि धाम की चढ़ाई चढ़ते वक्त कासगंज निवासी एक श्रद्धालु की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बनबसा से मिली जानकारी के अनुसार केनाल गेट के समीप शारदा नदी में नहा रहे ग्राम अहिया, थाना कमालगंज जिला फर्रुखाबाद निवासी उपेंद्र कुमार (15) पुत्र हुकुम चंद की नदी के तेज बहाव में बहने से मौत हो गई। उपेंद्र परिवार के साथ यहां आया था। सभी लोग पूर्णागिरि के बाद महेंद्रनगर सिद्धबाबा के दर्शन के लिए जा रहे थे। बैराज चौकी प्रभारी हेमंत कठैत ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 9 बजे ये लोग शारदा में स्नान के लिए उतर गए। इसी दौरान तेज बहाव में आने से उपेंद्र डूब गया। परिजनों के शोर मचाने पर जल पुलिस और एसडीआरएफ टीम पहुंची। करीब साढ़े तीन घंटे बाद जल पुलिस के जवानों ने उपेंद्र का शव बरामद किया। एक अन्य घटना में मंगलवार को गिरीश चंद (40) पुत्र लोचन चंद निवासी रामबली कॉलोनी, कासगंज, यूपी परिजनों के साथ पूर्णागिरि दर्शन को जा रहे थे। परिजन रॉकी और सचिन ने बताया कि भैरव मंदिर की चढ़ाई चढ़ते वक्त गिरीश चंद के सीने में तेज दर्द उठा और वह बेहोश हो गए। वहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों ने प्राथमिक उपचार के बाद एंबुलेंस से गिरीश को उप जिला अस्पताल टनकपुर पहुंचाया। यहां डॉ.उमर ने बताया कि गिरीश की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि गिरीश को दिल का दौरा पड़ा था। एक पखवाड़े के भीतर पूर्णागिरि दर्शन को जा रहे श्रद्धालु की दिल का दौरा पडऩे से मौत होने का ये दूसरा मामला है। इससे पूर्व बीते 21 मार्च को लखीमपुर खीरी जिले के मोहम्मदी तहसील के अयोध्यापुर गांव निवासी दीपक वर्मा (17) पुत्र विजय वर्मा की मौत हो चुकी है।

बाइक और ई रिक्शे में टक्कर, दो की मौत

गोण्डा (आरएनएस)। लखनऊ हाइवे पर सोमवार देर शाम एससीपीएम पुलिस चौकी के पास बाइक और ई रिक्शा की टक्कर में दो की मौत। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना परसपुर क्षेत्र के त्योरासी गांव निवासी चंदन सिंह पुत्र आयुष प्रताप सिंह और नगर कोतवाली क्षेत्र के माधवपुर चकत्ता निवासी सोहन लाल पुत्र बंशी की बाइक और रिक्शे की टक्कर में मौत हो गई।

खाई में गिरा ट्रक, चालक सहित तीन की मौत

नई टिहरी (आरएनएस)। देवप्रयाग के निकट पौड़ी मार्ग पर देर रात एक ट्रक गहरी खाई में गंगा किनारे जा गिरा। दुर्घटना में चालक सहित तीन युवकों की मौत हो गयी। एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शवों को खाई से निकालकर पीएम के लिए पौड़ी अस्पताल भेजा। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार रात देवप्रयाग से आधा किमी आगे पौड़ी मार्ग पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी मीटर खाई में गंगा किनारे जा गिरा। घटना की सूचना पर थाना प्रभारी बाह बाजार सुनील पंवार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। गहरा अंधेरा व तेज ढलान होने के चलते थाना प्रभारी ने श्रीनगर से एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीम को मौके पर बुलाया। कड़ी मशक्कत के बाद तीन बजे तडक़े खाई से चालक का शव निकाला जा सका। मंगलवार दोपहर तक चले रेस्क्यू में अन्य दो शवों को खाई से निकाल कर गंगा में राफ्ट के जरिये सौड़ गांव तक लाया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतकों की पहचान चालक सचिन थपलियाल (22) पुत्र बिंदल ग्राम पलोटा सबदरखाल पौड़ी, शुभम कोटियाल (22) पुत्र सागर कोटियाल निवासी मंदिर मोहल्ला, देवप्रयाग शामिल हैं। एक मृतक की पहचान नही हो पायी है। पुलिस टीम ने शवों का पंचनामा कर पीएम के लिए पौड़ी अस्पताल भेज दिया। बताया जा रहा है कि ट्रक शिवपुरी से सौड़ गांव जा रहा था।

13 वर्षीय लडक़े ने 8 साल के बच्चे को किया किडनैप, पीट-पीटकर मार डाला

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश की राजधानी में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 13 वर्षीय लडक़े ने 8 साल के बच्चे को किडनैप करने के बाद मौत के घाट उतार दिया। मामला रोहिणी का है जहां किसी बात को लेकर एक मामूली झगड़े के बाद 13 साल के बच्चे ने पहले तो आठ साल के बच्चे का अपहरण किया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के अनुसार कुछ दिनों पहले मृतक बच्चे के परिजनों ने थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया कि उनका बच्चा शनिवार दोपहर से ही लापता है। आखिरी बार उसे पड़ोस में रहने वाले 13 साल वर्षीय दोस्त के साथ खेलते देखा गया था। खबर के अनुसार पुलिस ने इस मामले में जब 13 साल के नाबालिग से पूछताछ की तो वह थोड़ा घबराया हुआ नजर आया। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सारा राज खोल दिया।

रोहिणी के डिप्टी कमीश्नर प्रणव तयाल के अनुसार नाबालिग आरोपी ने बताया कि कुछ दिनों पहले उसका आठ साल के बच्चे के साथ झगड़ा हो गया था। इसके बाद से ही वह उससे बदला लेना चाहता था। ऐसे में उसने पहले बच्चे को किडनैप किया और उसे सोहती गांव के जंगर एरिया में ले गया। पुलिस के अनुसार, नाबालिग ने पुराने झगड़े का बदला लेने के लिए उसे मारना शुरू कर दिया लेकिन चोट गंभीर होने के कारण बच्चे की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, मृतक और उसकी मां के साथ नाबालिग का झगड़ा हुआ था। मां के कुछ रुपये गायब हो गए थे और इसका इल्जाम उसने नाबालिग पर लगाया था। इसके बाद से ही नाबालिग ने बदला लेने का मन बना लिया था। फिलहाल, पुलिस ने नाबालिग पर मर्डर का केस लगाया गया है और उसे सुधार गृह में भेज दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने आर्य समाज की शादियों को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत लाने के आदेश पर लगाई रोक

नई दिल्ली (आरएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें आर्य समाज के एक संगठन को निर्देश दिया गया था कि विवाह करते समय उसे विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना चाहिए।

मध्य भारत आर्य प्रतिनिधि सभा का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान और वकील वंशजा शुक्ला ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने आर्य समाज के मंदिरों द्वारा आर्य समाज के मंदिरों द्वारा किए गए आर्य समाज के विवाह को निर्देश देकर विधायिका के क्षेत्र में प्रवेश करके एक त्रुटि की है। मप्र में याचिकाकर्ता समाज को विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अनुष्ठापन करना होगा। याचिकाकर्ता संगठन ने कहा कि मध्य प्रदेश के सभी आर्य समाज मंदिरों पर उसका अधिकार है।

वकील ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से निर्देश दिया कि आर्य समाज मंदिरों को विशेष विवाह अधिनियम की धारा 5, 6, 7 और 8 के प्रावधानों का पालन करने के बाद विवाह की अनुमति देनी चाहिए, जो पूर्वापेक्षा शर्तों के लिए प्रदान करते हैं, जैसे कि इच्छित विवाह की सूचना, प्रकाशन का प्रकाशन। नोटिस, शादी की नोटबुक, शादी पर आपत्ति और प्रक्रिया।

जस्टिस के.एम. जोसेफ और हृषिकेश रॉय ने दलीलें सुनने के बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी, जिसने संगठन को अधिनियम के अनुसार अपने दिशानिर्देशों में संशोधन करने का निर्देश दिया, और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया।

यह मामला 2020 में उच्च न्यायालय में एक अंतर-जातीय जोड़े द्वारा दायर एक याचिका से उत्पन्न हुआ, जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने आर्य समाज की परंपरा के अनुसार शादी की, और राज्य सरकार को उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देने के लिए अदालत का रुख किया।

प्राकृतिक खेती पद्धति से होगा किसानों को फायदा : तोमर

❒ मैनेज के वृहद प्रशिक्षण कार्यक्रम का केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया शुभारंभ

नईदिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज), हैदराबाद द्वारा आयोजित, प्राकृतिक खेती पर मास्टर प्रशिक्षकों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इस अवसर पर तोमर ने कहा कि मैनेज को आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अप्रैल से अगस्त तक देश में 30 हजार ग्राम प्रधानों के लिए 750 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का काम सौंपा गया है। तोमर ने कहा कि प्राकृतिक खेती पद्धति किसानों के लिए काफी फायदेमंद है।

मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि देश में परंपरागत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल की है। प्राकृतिक खेती के महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गत 16 दिसंबर को गुजरात में प्राकृतिक खेती पर एक वृहद राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें लाखों किसान जुड़े थे। प्राकृतिक खेती बाहरी आदानों पर किसानों की निर्भरता को कम करने, खेती की लागत घटाने तथा किसानों की आय बढ़ाने का आशाजनक साधन है। सरकार पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) की उपयोजना के रूप में भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) को बढ़ावा दे रही है। आगामी दिनों में प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर देशभर में 30 हजार ग्राम प्रधानों के लिए 750 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के साथ ही अपने-अपने राज्यों में प्राकृतिक खेती की पहल को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। 4.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को प्राकृतिक खेती के तहत कवर किया गया है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022-23 के बजट में भी घोषणा की गई है। राज्यों में विश्वविद्यालयों में प्राकृतिक खेती संबंधी पाठ्यक्रम को शामिल करने को लेकर कमेटी बनाई गई है।

तोमर ने कहा कि पहले देश में एक कालखंड ऐसा था, जब खाद्यान्न का अभाव था, तब उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुसंधान व रसायनों का उपयोग किया गया लेकिन वह तब की जरूरत थी, आज कृषि उत्पादन व निर्यात की दृष्टि से भी हमारा देश बहुत अच्छी स्थिति में है। केंद्र सरकार काफी प्रयास कर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कृषि व किसानों को आगे बढ़ाने के लिए मदद कर रही है। सरकार चाहती है कि हम आयात पर निर्भर नहीं रहे बल्कि निर्यात में हमारी महारत बढ़ती रहे। प्राकृतिक खेती पद्धति बढऩे के साथ इसमें गाय सहित पशुओं का उपयोग बढ़ेगा, जिससे किसानों को लाभ होगा।सरकार ने कृषि को आधुनिक तकनीकों से जोडऩे की पहल की है, जिसमें राज्यों का सहयोग लिया जा रहा है, वहीं 6865 करोड़ रुपये खर्च कर हर ब्लाक में नए कृषक उत्पादक संघ (एफपीओ) बनाए जा रहे हैं, जो कुल दस हजार बनेंगे।

ईडी का बड़ा एक्शन, मुंबई भूमि घोटाले में संजय राउत के परिवार की करोड़ों की संपत्ति कुर्क

मुंबई (आरएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई भूमि घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए शिवसेना नेता संजय राउत के परिवार की करीब 11 करोड़ रुपये संपत्ति कुर्क कर ली। इसमें अलीबाग और दादर में बने संजय राउत की पत्नी के फ्लैट भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार ईडी ने यह कार्रवाई पात्रा चॉल भूमि घोटाले से जुड़े मामले में की है। मुंबई में हुए इस भूमि घोटाले में करीब 1,034 करोड़ रुपये के घालमेल का आरोप है। ईडी ने बीती शनिवार को एक्शन लेते हुए प्रवीण राउत की संपत्ति भी प्रोविजनली अटैच की है। प्रवीण राउत गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. का पूर्व डायरेक्टर रहा है और इन दिनों जेल में हैं। एजेंसी ने आज मुंबई के दादर में बना वर्षा राउत का एक फ्लैट भी अटैच किया है। इसके साथ अलीबेग एरिया में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत और स्वप्ना पाटकर का संयुक्त फ्लैट भी अपने कब्जे में ले लिया। वहीं इस मामले में संजय राउत का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि, मैं इस कार्रवाई से डरने वाला नहीं। चाहे मेरी प्रॉपर्टी सीज कर लो, मुझे शूट करो या जेल भेज दो। संजय राउत शिवसेना नेता बाला साहेब ठाकरे का फॉलोवर और एक शिव सैनिक है। मैं फाइट करूंगा और सबको एक्सपोज करूंगा।

हाईवे पर पलटी डबल डेकर बस... तीन की मौत, चर्चा ओवरटेकिंग में हुआ हादसा, 12 यात्री कराए गए भर्ती

अयोध्या (आरएनएस)। लखनऊ-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार की सुबह एक डबल डेकर बस हादसे का शिकार हो गई। चर्चा है कि ओवरटेक करने के चक्कर में यह बस कैंट थाना क्षेत्र के मुमताज नगर ओवर ब्रिज पर पलट गई। हादसे में 3 यात्रियों की मौत हुई है जबकि 12 गंभीर घायलों को उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद खिडक़ी और बॉडी काटकर घायलों को बाहर निकालना पड़ा,जिसमें एक घंटे से ज्यादा का समय लगा।

बताया गया कि कैपिटल हॉलिडे की एक डबल डेकर बस आरजे 09 पीए 3975 अपनी रूटीन के मुताबिक रोज की तरह आज सुबह भी दिल्ली से यात्रियों को लेकर बस्ती और सिद्धार्थ नगर जा रही थी। सुबह लगभग 7:30 बजे जैसे ही यह डबल डेकर बस राष्ट्रीय राजमार्ग पर कैंट थाना क्षेत्र के मुमताज नगर स्थित ओवर ब्रिज के पास पहुंची तो डबल डेकर बस के चालक ने एक वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश की और इसी कोशिश के दौरान अनियंत्रित डबल डेकर बस ओवर ब्रिज पर ही जोरदार आवाज के बाद पलट गई। ओवर ब्रिज पर पलटी डबल डेकर बस रेलिंग के सहारे लटक गई। हादसे के बाद घायलों की चीख-पुकार और ओवरब्रिज पर जोरदार गोले दगने जैसी आवाज सुन आसपास के लोग दौड़े तथा मामले की खबर पुलिस और प्रशासन को भी। हाईवे पर हादसे की खबर के बाद पूरा तंत्र सक्रिय हो गया और कई एंबुलेंस तथा कई क्रेनों को मौके पर बुला लिया गया। हलांकि हादसे की शिकार बस से घायल यात्रियों को निकलने में पुलिस और अन्य को खासी मशक्क्त करनी पड़ी। बस की खिड़कियों और बाड़ी को काटकर घायलों को बाहर निकाला गया और एक-एक कर घायलों को बाहर निकलवा एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भिजवाया गया। वहीं क्रेनों की मदद से डबल डेकर बस को सीधा कराया गया।

15 कराए गए भर्ती, तीन की हुई मौत- हादसे के बाद घायलों को जिला अस्पताल लाए जाने के बाद ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने 2 को मृत घोषित कर दिया वहीं गंभीर घायल 13 को उपचार के लिए भर्ती कर लिया। इनमें से एक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वही एक दर्जन यात्रियों का प्राथमिक उपचार किया गया है। चोट मामूली होने के चलते मरहम पट्टी के बाद उनको छुट्टी दे दी गई।

जिला अस्पताल प्रशासन का कहना है कि हाईवे पर हुए बस हादसे में वही एक 25 वर्षीय और एक 30 वर्षीय शख्स को लाए जाने के बाद मृत घोषित कर दिया गया जबकि 50 वर्षीय पंचम राम पुत्र धनराज निवासी पीपरपतिया थाना बांसी जिला सिद्धार्थनगर, 26 वर्षीय प्रवीन कुमार पुत्र कारी लाल निवासी जीवा थाना बांसी जिला सिद्धार्थनगर, डेढ़ वर्षीय अंशिका पुत्री श्री कृष्णा निवासी तेलिया टोला थाना शोहरतगढ़ जिला सिद्धार्थ नगर, 20 वर्षीय ऋषि गुप्ता पुत्र रामचंद्र गुप्ता निवासी शिव नगर कॉलोनी पहाडग़ंज कोतवाली नगर अयोध्या, 36 वर्षीय रमेश पुत्र सुंदर निवासी हरैया थाना जोगिया सिद्धार्थनगर, 22 वर्षीय ऋषभ त्रिपाठी पुत्र अरविंद त्रिपाठी निवासी पाला थाना पथरा सिद्धार्थनगर, 25 वर्षीय अनीता पत्नी ओमप्रकाश निवासी गायघाट थाना उसका बाजार सिद्धार्थ नगर, 36 वर्षीय तारा देवी पत्नी रामबचन निवासी पटखौली थाना सोनहा जिला बस्ती, 11 वर्षीय ओम कुमार पुत्र रामकरन निवासी पटखौली थाना सोनहा जिला बस्ती, 29 वर्षीय अनीता पत्नी श्री कृष्णा निवासी तेलिया टोला थाना शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर, 29 वर्षीय अनीता पत्नी श्री कृष्णा निवासी तेलिया टोला थाना शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर 56 वर्षीय घीसू राम पुत्र स्वर्गीय खरगू निवासी भैंसहवा थाना शोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर तथा 3 वर्षीय कार्तिक पुत्र वंश राज निवासी पटखौली थाना सोनहा बस्ती को भर्ती किया गया। भर्ती 35 वर्षीय रमेश पुत्र सुंदर ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।उधर एक गंभीर घायल 50 वर्षीय पंचम राम निवासी सिद्धार्थनगर को हालत गंभीर होने के चलते रेफर किया गया है। एसएसपी शैलेश पांडेय ने बताया कि जिलाधिकारी नितीश कुमार और अन्य पुलिस-प्रशासनिक अमले के साथ बसाहव और राहत कार्य को अंजाम दिया गया।